दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
8-5-20	~~उभय पक्ष~~ उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
29-5-20	~~उभय पक्ष उपस्थित~~ पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
14-8-20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25-8-20 को पेश हो।
25-8-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
15-9-20 वि.प. 1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी सं. 2 लगायत 05 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही, वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 15:47:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दमा संख्या – 188/19 प्रा.पत्र

श्री कानसिंह s/o श्री ईसरसिंह राजपूत निवासी- समेलिया तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

वनाम

श्री शिवसिंह s/o श्री मनोहरसिंह राजपूत निवासी- समेलिया त० माण्डल (वगैरा)
(प्रतिलिपि प्रा.पत्र मुताबिक)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 15-09-20

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ज्या कि ग्राम समेलिया पटवार हल्का धोड़ास तहसील माण्डल में उसके ाते /संयुक्त खाते की आराजी न. 431, 4401, 441, 442, 443, 1293/434 कुल किता 06 रकबा 13 ाघा 02 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते ो भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.12.19 को पंजीवद्व किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से त्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम समेलिया .... पटवार हल्का धोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 431, 4401, 441, 442, 443, 1293/434 कुल किता 06 रकबा 13 बीघा 02 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीथास 700/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को वनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 15:47:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner